रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247756 CG-DL-E-01082023-247756

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3290] No. 3290] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

(आयकर)

का.आ. 3440(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (6) और उप-नियम (3) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (v) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (48) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विवरण के साथ इस बांड को शून्य कूपन बांड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थातः-

(क) बांड का नाम

- आरईसी लि. के दस वर्षीय शून्य कूपन बांड

(ख) बांड की समयावधि

- दस वर्ष एक माह
- (ग) बांड जारी करने की समय सारणी
- 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले जारी किया जाना है;
- (घ) बांड की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि
- प्रत्येक बांड के लिए 1 लाख रुपए

(ङ) छूट

- 2517.85 करोड़ रुपए
- (च) जारी किए जाने वाले बांड की संख्या
- पांच लाख

[अधिसूचना सं. 56/2023/फा. सं. 164/1/2023-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक

4949 GI/2023 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2023

(INCOME TAX)

S.O. 3440(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of section 2 of the said Act, namely:

(a) name of the bond -Ten Year Zero Coupon Bond of REC Ltd.

(b) period of life of bond -ten years one months

(c) the time schedule of the issue - to be issued on or before the 31st day of March of bond 2025;

(d) the amount to be paid on - 1 lakh rupees for each bond

maturity or redemption

of the bond

(e) the discount - Rs. 2517.85 crores

(f) the number of the bonds to - five lakhs

be issued

[Notification No. 56/2023/F. No.164/1/2023-ITA-1]

VIKAS SINGH, Director